'पेसा' विषयक प्रश्नोत्तरीः 'पेसा' चालीसा

प्रश्न 1. 'पेसा' क्या है?

उत्तर संविधान की 5वीं अनुसूची में दर्ज़ क्षेत्रों–जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक आबादी जनजातीय समुदायों की है, में पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार संबंधी कानून लागू है–जिसे *'पंचायत एक्सटेंशन ओवर शिड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट,1996'* (PESA) कहते हैं।

प्रश्न 2. 'पेसा' के अनुसरण में राजस्थान का कानून कब से लागू हुआ?

उत्तर 'पेसा' के अनुसरण में 'राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण)अधिनियम'–राज्यपाल महोदय की अनुमति–30 सितम्बर, 1999 को प्राप्त होने पश्चात् लागू हुआ।

प्रश्न 3. राजस्थान 'पेसा' नियम कब से लागू हुए?

उत्तर राजस्थान 'पेसा' नियम–2 नवम्बर, 2011 से गज़ट अधिसूचना पश्चात् लागू हुए।

प्रश्न 4. राजस्थान 'पेसा' नियम, 2011 अनुसार–पेसा क्षेत्र कौनसे हैं एवं इनमें ग्राम सभा कहां आयोजित होगी?

उत्तर राजस्थान के 'पेसा' क्षेत्र में–दक्षिण राजस्थान के 5 ज़िले यथा–बांसवाड़ा व डूंगरपुर (सम्पूर्ण ज़िले यानि इन ज़िलों की–क्रमशः 8 व 5 पंचायत समितियां), उदयपुर (8 पंचायत समितियां), प्रतापगढ़ (4 पंचायत समितियां) एवं सिरोही (1 पंचायत समिति–आबूरोड़); यानि कुल 26 पंचायत समितियां एवं उनकी 1016 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। राजस्थान 'पेसा' नियम, 2011 अनुसार पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा–राजस्व गांववार आयोजित होगी।

प्रश्न 5. राजस्थान की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां कौन–कौनसी हैं?

उत्तर राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र यानि–दक्षिण राजस्थान के उपरोक्त 5 ज़िलों व 26 'पेसा'–पंचायत समितियों में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों में–भील, भील–मीणा, गरासिया, डामोर एवं कथोड़ी आदिवासी समुदाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त–सहरिया नामक आदिम जनजाति बारां ज़िले के किशनगंज एवं शाहबाद विकास खण्डों में निवास करती है।

प्रश्न 6. भारत देश में 'पेसा' कानून के दायरे में, कौन–कौनसे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र शामिल हैं?

उत्तर भारत देश में 'पेसा' कानून के दायरे में कुल 9 राज्य आते हैं, जिनमें संविधान की 5वीं अनुसूची में दर्ज़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र शामिल हैं। यह 'पेसा' अनुपालना संबंधी राज्य हैं–आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं राजस्थान।

प्रश्न 7. 'पेसा' क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की दावेदारी किन समुदायों को प्राप्त है?

उत्तर 'पेसा' क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के हकदार केवल अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, चूंकि इस कानून में समस्त अध्यक्ष पद उन्हीं के लिए आरक्षित हैं।

प्रश्न 8. 'पेसा' कानून व नियम के तहत ग्राम सभाओं को क्या मुख्य शक्तियां दी गई हैं?

उत्तर 'पेसा' कानून व नियम के तहत ग्राम सभाओं को प्रदत्त मुख्य शक्तियां 3 प्रकार की हैं–

1. **विकासात्मक–**अवाप्त की जाने वाली भूमि हेतु परामर्श, मद्य–निषेध लागू करने का अधिकार, समस्त विकास योजनाओं का पूर्व–अनुमोदन एवं जनजाति उपयोजना पर नियन्त्रण, विकास कार्यों पर खर्च हुई राशि का ग्राम सभा से अनुमोदन, गरीबी–उन्मूलन एवं अन्य व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं हेतु लाभार्थियों का चयन एवं सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं व कार्मिकों पर नियन्त्रण।
2. **परम्परागत कानून एवं सांस्कृतिक प्रचलन अनुसार स्थानीय विवादों का निपटारा–**आदिवासी क्षेत्र के सामाजिक रीति–रिवाज़ों, परम्परागत कानून व धार्मिक विश्वासों के आधार पर स्थानीय विवादों का साझा निपटारा।
3. **प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं प्रबंधन–**जल स्त्रोतों, शामलात भूमि, लघु वन–उपज संग्रह एवं बेचान, जंगलात का उपयोग एवं भूमि अधिग्रहण तथा खनन मामलों में स्थानीय आदिवासियों के स्वामित्व को कायम रखते हुए, संबंधित कानूनों व नीतियों पर प्रभावी अमल तथा निगरानी।

प्रश्न 9. 'पेसा' कानून के तहत ग्राम सभा/पंचायती राज संस्थाओं को दी गई कानूनी शक्तियां कौन–कौनसी हैं?

उत्तर 'पेसा' कानून के तहत् ग्राम सभा/पंचायती राज संस्थाओं को दी गई कानूनी शक्तियां निम्नानुसार हैं:

- स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद सुलझाने के परम्परागत तरीकों का संरक्षण करने का हक (धारा 3–ख)।
- समस्त सामाजिक व आर्थिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का पंचायत द्वारा क्रियान्वयन से पूर्व अनुमोदन करने का हक (धारा 3–ग-i)।
- गरीबी उन्मूलन और अन्य व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में लाभार्थियों के चयन का हक (धारा 3–ग-ii)।
- पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों व परियोजनाओं के ग्राम सभा से अनुमोदन पश्चात् किये गये खर्च का ग्राम सभा से प्रमाणीकरण/उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी करने का हक (धारा 3–घ)।
- विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व–ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के पुर्नवास पूर्व, ग्राम सभा से परामर्श का हक (धारा 3–छ)।

- अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल संसाधनों के स्वामित्व एवं प्रबन्धन का हक– (धारा 3–ज)।
- अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों हेतु खनन मंजूरी अथवा गौण खनिजों की नीलामी दर में रियायत हेतु पूर्व अनुमोदन का हक (धारा 3 झ व 3 ञ)।
- अनुसूचित क्षेत्रों में शराब–बन्दी लागू करने और मादक द्रव्यों की बिक्री व उपभोग को नियमित करने का हक। (3 ट-i)।
- गौण वन उपज के स्वामित्व का हक (3 ट-ii)।
- अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य लोगों द्वारा अधिग्रहण को रोकने और अधिगृहित भूमि का पुनः कब्ज़ा दिलाने का हक (3 ट-iii)।
- ग्राम हाट–बाज़ारों के प्रबंधन का हक (3 ट-iv)।
- अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी प्रथा (उधार पर धन देने का चलन) पर नियन्त्रण का हक (3 ट-V)।
- सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं और कार्मिकों पर नियन्त्रण का हक (3 ट-vi)।
- स्थानीय योजना एवं जनजाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं से प्राप्त राशि के तहत् अपने विकास नियोजन का हक (3 ट-Vii)।

प्रश्न 10 'गौण/लघु वन–उपज' किसे कहते हैं?

उत्तर 'गौण/लघु वन–उपज' में निम्न वन–उपज शामिल हैं:

बांस, पेड़ों की टहनियां, पेड़ के ठूंठ, केन (बेंत), टसर (रेशम), कीटकोप, शहद, मोम, लाख, तेन्दु और केन्दु की पत्तियां, औषधीय पौधे और शाक (साग), जड़ों और इन जैसी सभी ग़ैर–इमारती लकड़ियां/उत्पाद–लघु वन उपज कहलाते हैं।

प्रश्न 11 ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं?

उत्तर किसी ग्राम की वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) में शामिल सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं।

प्रश्न 12 ग्राम सभा के सचिव कौन हैं?

उत्तर ग्राम पंचायत के सचिव ही ग्राम सभा के सचिव होते हैं। यदि किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभाएं हों तो वहां ग्राम पंचायत के सचिव ही समस्त ग्राम सभाओं के सचिव होंगे। ग्राम पंचायत के सचिव की अनुपस्थिति में, संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी–किसी सरकारी कार्मिक को ग्राम पंचायत सचिव के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए पाबन्द करेंगे।

प्रश्न 13 ग्राम सभा की गणपूर्ति (कोरम) कैसे तय होगा?

उत्तर ग्राम सभा की गणपूर्ति (कोरम) हेतु ग्राम सभा बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 10 प्रतिशत मान्य होगा। इस सामान्य कोरम में, गांव की वोटर लिस्ट में शामिल–अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं का अनुपातिक कोरम भी सुनिश्चित करना होगा।

प्रश्न 14 ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें अनिवार्य हैं?

उत्तर ग्राम सभा की वर्ष में न्यूनतम 4 बैठकें–राजस्थान पंचायती राज कानून, 1994 व नियम,1996 एवं पेसा नियम, 2011 अनुसार अनिवार्य हैं–प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम एक बैठक के आधार पर।

प्रश्न 15 ग्राम सभा की विशेष बैठक कब बुलाई जा सकती हैं?

उत्तर ग्राम सभा की नियमित बैठकों के अलावा निम्न स्थितियों में विशेष बैठक बुलाई जा सकती है :

- यदि ग्राम सभा की साधारण बैठक में ऐसा निर्णय लिया गया हो,
- यदि पंचायत के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है जिस पर ग्राम सभा की राय की आवश्यकता है, एवं
- ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से, कम से कम 5 प्रतिशत या 25 सदस्य–इनमें से जो भी अधिक हो–द्वारा सचिव को दी गई ग्राम सभा बुलाए जाने की लिखित मांग के आधार पर

प्रश्न 16 ग्राम सभा की संयुक्त बैठकें कब बुलाई जा सकती हैं?

उत्तर ग्राम सभा की संयुक्त बैठकें अपने कार्य–क्षेत्र में ऐसे कामों के क्रियान्वयन हेतु जिनमें अन्य ग्राम सभाओं के साथ समन्वय अपेक्षित हो, जैसे–प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन, सड़कों के निर्माण आदि; ऐसी परिस्थिति में पंचायत क्षेत्र में पड़ने वाली सभी ग्राम–सभाओं की संयुक्त बैठक संचालित की जा सकती है।

प्रश्न 17 शांति समिति क्या है व इसके सदस्य कौन होंगे?

उत्तर पेसा क्षेत्रों में शांति समिति का गठन आदिवासियों के स्थानीय विवादों के परम्परागत कानून अनुसार निपटारे एवं क्षेत्र में शांति–व्यवस्था बनाये रखने हेतु किये जाने के प्रावधान, पेसा नियम, 2011 में अध्याय–3 में किये गये हैं। शांति समिति के 20 सदस्यों का चयन–ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा, जिसमें न्यूनतम 33 प्रतिशत महिलाएं एवं 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति सदस्य शामिल किये जायेगे।

प्रश्न 18 शांति समिति के प्रमुख दायित्व क्या हैं?

उत्तर शांति समिति के प्रमुख दायित्व निम्न हैं :

- आस–पास के गांवों के साथ अच्छे संबंध बनाना एवं यह सुनिश्चित करना कि सामान्य हितों के लिए की जाने वाली कार्रवाई आस–पास के गांवों के साथ साझा राय पर आधारित हो।
- उन घटनाओं की जांच ग्राम सभा के निर्देश पर करना जिससे गांव की शांति भंग होती है एवं जांच रिपोर्ट ग्राम सभा में प्रस्तुत करना।
- जो शांति भंग करते हैं, उन्हें सलाह देकर सुलह कराना।
- जहां तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो उसे सम्पन्न कर, ग्राम सभा को रिपोर्ट देना।
- ग्राम सभा के अनुमोदन से, उपयुक्त कार्रवाई के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना।

प्रश्न 19 शांति समिति द्वारा स्थानीय विवाद सुलझाने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर शांति समिति द्वारा स्थानीय विवाद सुलझाने की प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्न हैं :

- शांति समिति किसी भी विवाद को सुलझाने हेतु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए परम्परा अनुसार कार्रवाई करेगी। किसी विवाद को सुलझाने का उद्देश्य–विवाद को जड़ से खत्म कर, गांव में समरसता का वातावरण बनाना है।
- विवाद की सुनवाई जनता के बीच होगी एवं विवाद से संबंधित सभी पक्षकारों/व्यक्तियों को अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जायेगा।
- सभी व्यक्तियों के विचार सुनने के बाद, शांति समिति ग्राम सभा को आगे कार्रवाई करने के अपने प्रस्ताव देगी।
- ग्राम सभा के सभी सदस्य–शांति समिति द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकेंगे।
- ग्राम सभा के सदस्यों के विचार प्राप्त करने बाद, शांति समिति वांछित संशोधन–यदि ज़रूरी हो करेगी और पुनः ग्राम सभा को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। तत्पश्चात् ग्राम सभा बहुमत के आधार पर, शांति समिति की राय को स्वीकार कर, अपेक्षित कार्रवाई करेगी।
- यदि शांति समिति के प्रस्ताव पर ग्राम सभा में बहुमत न बने, तो पुनः पक्षकारों के साथ अनौपचारिक वार्ता करने के बाद, ग्राम सभा की अगली बैठक में शांति समिति मामले को पुनः रखेगी–जिस पर ग्राम सभा द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

प्रश्न 20 शांति भंग होने के मामलों में पेसा क्षेत्र में पुलिस की क्या भूमिका है?

उत्तर (क) यदि स्थानीय पुलिस को किसी ग्राम सभा क्षेत्र में शांति भंग होने की संभावना की जानकारी प्राप्त होती है, तो सिवाय उन मामलों के जिनमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई अनिवार्य है, संबंधित पुलिस अधिकारी ग्राम सभा को अथवा शांति समिति को मामले की विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा।

(ख) यदि पुलिस को किसी अपराध की जानकारी प्राप्त होती है, तो केवल गम्भीर अपराध की दशा में ही पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज़ करने के बाद, एफ.आई.आर. की प्रति ग्राम सभा/शांति समिति को भेजी जायेगी। आगामी ग्राम सभा की बैठक या विशेष बैठक में मामले को सुलझाने का प्रयास किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि उन्हीं अपराधों को गम्भीर माना जायेगा जिनके लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 2 साल से अधिक की सज़ा का प्रावधान है।

प्रश्न 21 सामुदायिक स्त्रोतों के प्रबन्धन में ग्राम सभा के क्या दायित्व हैं?

उत्तर सामुदायिक स्त्रोतों के प्रबन्धन में ग्राम सभा के मुख्य दायित्व निम्न हैं :

- ग्राम सभा के क्षेत्र में उपलब्ध सभी प्राकृतिक संसाधनों/सामुदायिक स्त्रोतों जैसे–जल, भूमि, वन, चरागाह, शामलात भूमि, खनिज आदि को शामिल करते हुए, उन्हें स्थानीय परम्परा अनुसार संरक्षित करते हुए, उनका प्रबन्धन करने की भूमिका।

- ग्राम सभा सुनिश्चित करेगी कि सामुदायिक स्त्रोतों का उपभोग इस प्रकार हो कि : जीविका के साधन बढ़ें, लोगों के बीच समानता बढ़े, स्त्रोतों का उपयोग कुछ लोगों तक सीमित न हो एवं स्त्रोतों का संरक्षण करते हुए पूर्ण उपभोग–जनहित में हो।

प्रश्न 22 भूमि पर अधिग्रहण रोकने की ग्राम सभा की क्या भूमिका है?

उत्तर ग्राम सभा के परामर्श बिना सरकार पेसा क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकती। जब किसी विकास परियोजना हेतु सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के अधीन भूमि का अधिग्रहण किया जाना हो, तब सरकार का संबंधित अधिकारी ग्राम सभा को निम्न–लिखित जानकारी के साथ भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा :

(1) परियोजना अन्तर्गत आने वाली भूमि एवं प्रस्तावित परियोजना की सम्पूर्ण रूपरेखा।

(2) प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण।

(3) गांव में बसने वाले संभावित नये लोग तथा क्षेत्र व समाज पर पड़ने वाला प्रभाव।

(4) गांव के लोगों के लिए प्रस्तावित भागीदारी, मुआवज़े की रकम एवं रोज़गार के अवसर।

उक्त सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होने, उस पर खुला विचार–विमर्श ग्राम सभा में होने एवं बहुमत से लिये गये फैसले के आधार पर ग्राम सभा की राय–भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नवास के बारे में संबंधित अधिकारी को अवगत करा दी जायेगी। यदि सरकार या संबंधित अधिकारी ग्राम सभा द्वारा की गई सिफारिश से सहमत नहीं हैं तो वे मामले को पुनर्विचार के लिए पुनः ग्राम सभा को भेजेंगे। यदि ग्राम सभा से दूसरे परामर्श के बाद संबंधित अधिकारी या सरकार, ग्राम सभा की सिफारिशों के विरूद्ध कोई आदेश जारी करते हैं तो उन्हें ऐसा करने के लिखित कारण भी रिकॉर्ड करने होंगे। औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित समस्त ग्राम सभाओं से परामर्श करने का प्रावधान नियमों में है।

प्रश्न 23 भूमि अन्य–संक्रामण रोकने हेतु ग्राम सभा क्या कर सकती है?

उत्तर भूमि अन्य–संक्रामण रोकने हेतु ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजातियों की कोई भूमि, गैर–अनुसूचित जनजाति के लोगों को हस्तान्तरित न हो। पेसा नियम, 2011 के तहत् अनुसूचित क्षेत्र में किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि से अतिकर्मियों की संक्षिप्त बेदखली के लिए तहसीलदार की शक्तियां पंचायत समिति द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (धारा–15) के अधीन उपबन्धों के अनुसार अमल में ली जायेंगी।

प्रश्न 24 पेसा क्षेत्र में साहूकारी प्रथा–उधार पर धन देने के चलन को रोकने के लिए नियमों में क्या प्रावधान हैं?

उत्तर पेसा नियम, 2011 के तहत अध्याय–5 की धारा 21 के तहत ग्राम पंचायत/पंचायत समिति अनुसूचित क्षेत्रों में उधार पर धन देने के कारोबार को–राजस्थान साहूकार

अधिनियम,1963 (1964 का अधिनियम संख्या–1) के उपबन्धों के अनुसार नियन्त्रित करने के लिए सक्षम होगी। धारा 22 में ग्राम पंचायत को राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार सहायक रजिस्ट्रार की शक्तियां दी गई हैं व धारा 23 में पंचायत समिति को रजिस्ट्रार की शक्तियां दी गई हैं।

प्रश्न 25 पेसा नियमो में गौण वन–उपज के संरक्षण हेतु ग्राम सभा स्वामित्व के क्या प्रावधान हैं?

उत्तर ग्राम सभा अपने क्षेत्र के भीतर आने वाले गौण वन–उपज की स्वामी होगी व उसे निम्न शर्तों का पालन करना होगाः

- ग्राम सभा के स्वामित्व में उस क्षेत्र की भूमि, वृक्ष एवं वन्य जीवन सम्मिलित नहीं हैं।
- कोई व्यक्ति वन भूमि के किसी भी भाग से ऐसी घास नहीं काटेगा जो घास कटाई के लिए बन्द है तथा वन भूमि से घास केवल 1 अक्टूबर से 31 जनवरी के बीच ही काटी जा सकेगी।
- खण्ड वन अधिकारी द्वारा चराई के लिए खोले गए वन क्षेत्र में ही पशु चराये जाएंगे।
- कोई भी व्यक्ति गौण वन–उपज के स्वामित्व अधिकारों का उपभोग करने के दौरान पेड़ों को न तो गिराये, न जड़ से उखाड़े, न छेदे, न तार की जाली से ढके और न ही आरा चलाए।
- कोई गौण वन–उपज सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व, खण्ड वन अधिकारी की जानकारी के बिना वन भूमि से हटाई नही जा सकेगी।
- 15 जुलाई से 30 सितम्बर के बीच, वन भूमि के 200 मीटर के भीतर कोई गांववासी खण्ड वन अधिकारी की सहमति के बिना आग नही जलाए/ले–जाए/रखे।
- कोई गौण वन–उपज, मुख्य वन्य जीव वार्डन की अनुमति के बिना, संरक्षित क्षेत्रों, अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय पार्कों, संरक्षित रिज़र्व, सामुदायिक रिज़र्व या क्रिटिकल टाईगर हेबीटेट से हटाई नहीं जाएगी।

प्रश्न 26 गौण वन–उपज के संग्रहण और बेचान की क्या प्रक्रिया पेसा नियमों में दी गई है?

उत्तर बांस और तेन्दु पत्ता के अलावा, गौण वन–उपज के संग्रहण और बेचान का ज़िम्मा निम्न प्रक्रिया के तहत् संपादित होगा :

- ग्राम सभा अपने क्षेत्र से समस्त गौण वन–उपज–ग्राम वन–संरक्षण एवं प्रबन्धन समिति अथवा राजस संघ या इस प्रयोजन के लिए गठित सहकारी समितियों के द्वारा संग्रहित कराने के लिए ज़िम्मेदार होगी।
- ग्राम सभा–पंचायत और वन विभाग के साथ ग्राम वन–संरक्षण व प्रबन्धन समिति द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार गौण वन–उपज का संग्रहण सुनिश्चित करेगी।
- ग्राम सभा अपने क्षेत्र से गौण वन–उपज के बेचान के ज़रिये लाभों/मुनाफे को बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार होगी।

- गौण वन–उपज के बेचान से प्राप्त की गई शुद्ध राजस्व/आय ग्राम सभा की होगी।
- ग्राम सभा इस आय का उपयोग सामुदायिक संवर्गों के हित में एवं गौण वन– उपज उत्पादन में वृद्धि करने के लिए स्वतंत्र होगी।
- ग्राम सभा अपने क्षेत्र से संग्रहित गौण वन–उपज का, राजस संघ द्वारा नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, राजस संघ को बेचने का फैसला कर सकेगी।
- राजस संघ द्वारा गौण वन–उपज खरीदने का न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करने हेतु गठित समिति में पंचायती राज संस्था का प्रतिनिधित्व होगा।

प्रश्न 27 बांस और तेन्दुपत्ता संग्रहण और बेचान की प्रक्रिया पेसा नियमो की कौनसी धारा में दी गई है एवं उनके तहत् बास व तेन्दुपत्ता की फसल से प्राप्त आय ग्राम सभा किन कामों पर खर्च कर सकेगी?

उत्तर बांस और तेन्दुपत्ता संग्रहण और बेचान की प्रक्रिया–पेसा नियमो के तहत् अध्याय–6 की धारा 26–(2 व 3) में विस्तार से दी गई है। इन धाराओं के तहत्–बांस व तेन्दुपत्ता से अर्जित आय, ग्राम सभा द्वारा समुदाय के विकास और इन वन–उत्पादों की अभिवृद्धि पर खर्च की जा सकेगी।

प्रश्न 28 गौण खनिजों के नियन्त्रण संबंधी क्या अधिकार ग्राम सभा/पंचायती राज संस्था को दिये गये हैं?

उत्तर गौण खनिजों के नियन्त्रण हेतु खनन मे रियायती दर संबंधी सिफारिश आगे अंकित अनुसार की जा सकेगी :

- जहां खनन क्षेत्र किसी एक ग्राम पंचायत में सीमित है तो यह अधिकार संबंधित ग्राम सभा को है।
- जहां खनन क्षेत्र एक से अधिक पंचायतों के अन्तर्गत आता है तो यह अधिकार संबंधित पंचायत समिति को है।
- जहां खनन क्षेत्र एक से अधिक पंचायत समितियों के तहत् आता है तो यह अधिकार संबंधित ज़िला परिषद् को है।

प्रश्न 29 ग्राम सभा को अपने क्षेत्र में मादक पदार्थों के विक्रय एवं उपभोग को नियंत्रित करने की क्या शक्ति पेसा नियमों में प्राप्त है?

उत्तर ग्राम सभा अपने क्षेत्र में अवैध शराब बनाने एवं बेचने तथा ऐसी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने, मद्य–निषेध/शराबबंदी को बढ़ावा देने एवं शराब की दुकानों का स्थान परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव ले सकेगी। ग्राम सभा सदस्यों द्वारा मद्य–निषेध हेतु पारित प्रस्ताव की हस्ताक्षरित प्रति ज़िले के कलेक्टर और आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर को भेजी जायेगी। कलेक्टर ग्राम सभा के प्रस्ताव पर किसी वरिष्ठ अधिकारी–जो कम से कम तहसीलदार स्तर अथवा उससे ऊपर के हों को वस्तु– स्थिति सत्यापित करने के लिए भेजेगा एवं प्राप्त रिपोर्ट को

अपनी टिप्पणी सहित आबकारी आयुक्त को भेजेगा। कलेक्टर द्वारा भेजी रिपोर्ट पर, आबकारी आयुक्त, राजस्थान–ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगा एवं ग्राम सभा को कलेक्टर के माध्यम से सूचित करेगा।

प्रश्न 30 विशेष अवसरों पर मदिरा–पान पर नियन्त्रण संबंधी ग्राम सभा को क्या शक्ति प्राप्त है?

उत्तर विशेष अवसरों जैसे–जन्म, नामकरण संस्कार, विवाह, विवादों को सुलझाने, होली, दीपावली और जनजाति समुदाय के अन्य पर्वों एवं रीति–रिवाज़ों के संदर्भ में मदिरा–पान पर नियन्त्रण हेतु ग्राम सभा को ऐसे सामाजिक अवसरों पर, ग्राम सभा सदस्यों को देशी मदिरा सीमित मात्रा में रखने हेतु, मदिरा की मात्रा का तारीख–वार परमिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ग्राम सभा द्वारा साधारण खुली अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

प्रश्न 31 पेसा ग्राम सभाओं में महिलाओं के विचारों को वरीयता संबंधी क्या प्रावधान है?

उत्तर पेसा नियमों के अध्याय संख्या–8–जो कि मद्य नियंत्रण के बारे में है, के तहत् धारा–30 में, महिलाओं के विचारों को निर्णायक माना गया है, फलस्वरूप ग्राम सभा में उपस्थित महिलाओं की राय, ग्राम सभा की राय मानी जाएगी एवं तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही धारा 31 में, मादक दृव्यों का सेवन आम स्थानों पर करने, नशे की अवस्था में महिलाओं के साथ झगड़ा अथवा मार–पीट करने या घरेलू हिंसा करने वाले व्यक्तियों पर ग्राम सभा उपयुक्त जुर्माना लगा सकेगी।

प्रश्न 32 राजस्थान पंचायती राज पेसा नियम, 2011 को लागू करने में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण कैसे होगा?

उत्तर यदि पेसा नियम, 2011 के प्रावधानों पर अमल करने में कोई कठिनाईयां आती हैं, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश जारी कर सकेगी, जिनके द्वारा पेसा नियम लागू करने में आ रही कठिनाईयों को दूर किया जा सके–(अध्याय–8, धारा–32)।

प्रश्न 33 गौण वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए गठित समिति में पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिनिधित्व दिये जाने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर गौण वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए गठित समिति में पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिए, संबंधित ज़िलों/पंचायत समितियों में से ज़िला प्रमुख एवं प्रधानों को मनोनीत किये जाने के लिए आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा इनकी संख्या तय कर, पंचायती राज विभाग की सहमति से आदेश जारी किये जावेंगे।

प्रश्न 34 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–55(क) के अनुसार, कितनी स्थाई समितियां गठित करने का प्रावधान है? क्या पेसा ज़िलों में छठी स्थाई समिति गठित की जा सकती है और क्यों?

उत्तर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–55(क) के अनुसार पंचायत स्तर पर 5 स्थाई समितियां गठित करने का प्रावधान है। उन समितियों के विषयों में सम्मिलित नहीं

किये गये किन्हीं विषयों के लिए छठी स्थाई समिति बनाने का भी प्रावधान है। **चूंकि गौण वन–उपज, बांस एवं तेन्दुपत्ता जनजाति क्षेत्र की पंचायतों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं, अतः ग्राम वन उत्पादन एवं प्रबन्धन कमेटी को पेसा ज़िलों की समस्त पंचायतों में, इस छठी स्थाई समिति में समाहित किया जावे।**

प्रश्न 35 पेसा नियम, 2011 की क्रियान्विति हेतु राजस्व विभाग की क्या मुख्य ज़िम्मेदारी है?

उत्तर राजस्व विभाग–भूमि अवाप्ति के संबंध में नियम–18 की पालना में संबंधित ज़िला कलेक्टर्स को यह निर्देश जारी करेगा कि अवाप्त की जाने वाली भूमि हेतु ग्राम सभा से आवश्यक रूप से परामर्श किया जावे।

प्रश्न 36 पेसा नियम, 2011 की क्रियान्विति हेतु खान विभाग की क्या मुख्य जिम्मेदारी है?

उत्तर खान विभाग–गौण खनन पट्टों के नवीनीकरण के समय, संबंधित ग्राम सभा से अनिवार्य रूप से सिफारिश प्राप्त किये जाने के लिए, संबंधित खनन अभियन्ताओं को निर्देशित करें।

प्रश्न 37 पेसा नियम, 2011 की क्रियान्विति हेतु आबकारी विभाग की क्या मुख्य जिम्मेदारी है?

उत्तर आबकारी विभाग–मादक द्रव्यों के विक्रय एवं उपभोग हेतु नियम–29 के प्रावधानों के तहत् संबंधित ज़िला कलेक्टर्स एवं आबकारी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करे।

प्रश्न 38 पेसा नियम, 2011 की क्रियान्विति हेतु वन विभाग की क्या मुख्य जिम्मेदारी है?

उत्तर वन विभाग द्वारा ठेकेदारों की वनों में आग लगाने की प्रवृति–जिससे ज़्यादा मात्रा में तेन्दुपत्ता संग्रहित हो सके; पेर अंकुश लगाने के दिशा–निर्देश जारी किये जाने होंगे।

प्रश्न 39 राज्य में पेसा का नोडल विभाग कौनसा है?

उत्तर राज्य में पेसा का नोडल विभाग पंचायती राज विभाग है।

प्रश्न 40 पेसा कानून व नियमों के प्रावधानों की अनुपालना की निगरानी व जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का संचालन एवं क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है एवं इसकी क्या प्रक्रिया है?

उत्तर **पेसा कानून व नियमों के प्रावधानों की अनुपालना की निगरानी व जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का संचालन एवं क्रियान्वयन–आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा किया जा रहा है।** इस हेतु जनजातीय आयुक्त द्वारा राजस्व, खनिज, आबकारी एवं वन विभाग के पेसा ज़िलों के ज़िला स्तरीय अधिकारियों तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के परियोजना प्रबन्धकों से प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन पर सतत् निगरानी की जाकर, महामहिम राज्यपाल को पेसा एक्ट की क्रियान्विति हेतु वार्षिक प्रतिवेदन, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

****